न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 258/16–17

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

जेंगा भेंगरा – विक्रेता

सामुएल भेंगरा – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
21.08.18	**आदेश**

आवेदक/आवेदिका जेंगा भेंगरा पिता स्व0 सिनुदीन भेंगरा ग्राम डोड़मा करमु टोली, थाना तोरपा, जिला खूँटी, जाति मुण्डा ने सामुएल भेंगरा पिता स्व0 भोगन भेंगरा ग्राम चन्द्रपुर सीसी टोली, थाना तोरपा, जिला खूँटी, जाति मुण्डा के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड में)
डोड़मा	10	163	901	0.31

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0849993269 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 279 दिनांक 30.05.2017 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम मेधु मुण्डा वगैरह है। पंजी II के अनुसार जोटो महतो वगैरह है। आवेदक के पास रकवा 3.87 एकड़ है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015–2016 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 4000.00(चार हजार)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकवा 3.56 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एंव एक ही समुदाय (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने आवेदक क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, तोरपा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण जेंगा भेंगरा पिता स्व0 सिनुदीन भेंगरा को सामुएल भेंगरा पिता स्व0 भोगन भेंगरा के साथ ग्राम डोड़मा के खाता सं0 10 खेसरा संख्या 163 का कुल रकबा 0.31 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 4000.00(चार हजार)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 21/08/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

(हस्ताक्षर) 21/08/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।